भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 389

दिनांक 21.07.2026 को उत्तरार्थ

पंद्रहवें वित्त आयोग से संबंधित अबद्ध अनुदान

†389. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026 के जून और जुलाई के दौरान पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा पांच सौ बानबे करोड़ रुपये से अधिक का अबद्ध अनुदान संस्वीकृत और जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल राज्य के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्कालीन मनरेगा योजना, जिसे वर्तमान समय में वीबी-जी राम-जी योजना कहा जाता है, के विगत चार वित्त वर्षों से लंबित केंद्रीय बजट आबंटनों और संस्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी लाभार्थियों के भुगतान को विनियमित करने का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): नहीं महोदय। पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई है। परिणामस्वरूप, जून और जुलाई 2026 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कोई भी अनुदान संस्वीकृत या जारी नहीं किया गया।

(ख): उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पूर्ववर्ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, जो 30.06.2026 तक लागू थी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को रोजगार प्रदान किया गया, जिसके वयस्क सदस्यों ने अकुशल शारीरिक श्रम की मांग की थी। 01.07.2026 से, विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 लागू हो गया है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान लिया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पिछले चार वित्तीय वर्षों में बजट अनुमान स्तर पर निधि आवंटन, संशोधित अनुमान स्तर पर निधि आवंटन, अंतिम आवंटन तथा जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अंतिम आवंटन	वास्तविक जारी राशि
2022-23	73000.00	89400.00	90956.00	90810.00
2023-24	60000.00	86000.00	89363.00	89268.00
2024-25	86000.00	86000.00	86000.00	85839.00
2025-26	86000.00	88000.00	88000.00	87366.00

योजना के अंतर्गत, मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, यदि पिछले वर्षों की कोई स्वीकार्य लंबित देनदारियां होती हैं, तो भारत सरकार द्वारा उनका विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियों का भुगतान किया जा चुका है (पश्चिम बंगाल राज्य के मामले को छोड़कर)।

पश्चिम बंगाल के मामले में, मजदूरी घटक के संबंध में रु. 1,457.22 करोड़ की लंबित देनदारी है। इस देनदारी की स्वीकार्यता भारत सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।
